<u>सत्र प्रकरण कमांक– 65/2022 पक्षकार राज्य वि0 पिंकु दास</u> V-181
Cr.J.

Witness No ....02............ for .... **अभियोजन** ....deposition taken this 09/10/2024………day of............ **बुधवार** ....witness's apparent age **31 वर्ष**

State on affirmation..................... **शपथ पूर्वक** ....my name is **शशांक श्रीरामूला**

son of- **श्री प्रसाद श्रीरामूला** Occupation **जुनियर इंजीनियर**

address- **रेल्वे कॉलोनी, दंतेवाडा, जिला– दंतेवाडा (छ0ग0)**

<u>समय– 3:00 बजे</u>

<u>मुख्य परीक्षण व्दारा श्री श्रीनिवास रथ, अतिरिक्त लोक अभियोजक वास्ते शासन</u>

1– मै हाजिर अदालत आरोपी को नहीं जानता हूं, क्योकि लगभग दो साल पहले की बात है।

2– आज से लगभग दो साल पहले मेरे दोस्त टी0 पवन कुमार से जगदलपुर स्टेशन और बस स्टेंड के बीच रात के समय उसका पर्स और मोबाईल को चाकू की नोक पर लूट लिये थे, ऐसा मुझे मेरे दोस्त टी0 पवन ने बताया था।

3– घटना की रिपोर्ट मेरे दोस्त ने थाना बोधघाट में दर्ज कराया था मै और मेरा दोस्त टी0 पवन कुमार घटना के दूसरे दिन थाना बोधघाट गये और वहां पर हाजिर अदालत आरोपी तथा उसके साथ एक छोटा लडका मौजूद थे और वहां पर पुलिस वाले मेरे दोस्त पवन का मोबाईल और पर्स रखे हुये थे और पुलिस वालो ने हाजिर अदालत आरोपी से पूछताछ किये थे तो उसने अपने घर में समान रखा था और पुलिस वालो ने मोबाईल आई फोन एक्स और पर्स को जप्त करने की कार्यवाही किये थे और मेरे हस्ताक्षर लिये थे, नोटिस **प्र0पी0 02,** मेमोरेण्डम **प्र0पी0 03** तथा जप्ती पत्रक **प्र0पी0 04** है, जिनके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस वालो ने आरोपी को गिरफतार किया था, गिरफतारी पत्रक **प्र0पी0 05** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

4– पुलिस वालो ने मेरे से पूछताछ कर मेरा बयान लिया था।

नोट :– इसी स्तर पर अतिरिक्त लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि उपस्थित साक्षी अभियोजन पक्ष का समर्थन नही कर रहे है इसलिये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–154 के तहत् साक्षी से प्रतिपरीक्षण के सदृश्य प्रश्न पूछने की अनुमति दी जावे। निवेदन पर विचार किया साथ ही प्रकरण का भी अवलोकन किया। विचारोपरांत इस प्रकरण के

तथ्यो एवं परिस्थितियों को देखते हुये अतिरिक्ति लोक अभियोजक को अपने ही साक्षी से प्रतिपरीक्षण के सदृश्य प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है ।

5— मुझे आज याद नहीं है कि पुलिस वालो ने मुझे गवाह बनने के लिए नोटिस दिया था या नहीं। यह कहना गलत है कि हाजिर अदालत आरोपी पिंकु दास से मेटगुडा रेल्वे स्कूल जगदलपुर में पूछताछ किये थे। यह कहना गलत है कि मेरे सामने पुलिस वालो ने जब हाजिर अदालत आरोपी से पूछताछ किया तो उसने बताया था कि लूटे गये मोबाईल और घटना में प्रयुक्त चाकू को अपने जेब में रखा हूं तथा पर्स को मनीष रखाहै। यह कहना गलत है कि पुलिस वाले मेरे सामने हाजिर अदालत आरोपी से मेटगुडा स्कूल के पास एप्पल आई फोन एवं लोहे का चाकू जप्त किये थे। यह कहना गलत है कि मै आज आरोपी को बचाने के लिए सही बात नहीं बता रहा हूं।

<u>प्रतिपरीक्षण व्दारा श्री बीरेन्द्र बहोते अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त</u>

6— यह कहना सही है कि मेरे सामने कोई घटना नहीं हुई थी। यह कहना सही है कि मुझे टी0 पवन के बताये अनुसार घटना की जानकारी हुई थी। यह कहना सही है कि जब मै थाना बोधघाट गया, उस समय मेरे दोस्त का एप्पल मोबाईल और पर्स थाना में रखा हुआ था। यह कहना सही है कि मेरे समक्ष फोन और चाकू की जप्ती नहीं हुई थी।

समय— 3:15 बजे

वाचित सत्य एवं स्वीकृत ।	**मेरे निर्देशन पर टंकित ।**
सही/—	**सही/—**
(अजय सिंह राजपूत)	**(अजय सिंह राजपूत)**
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश	**प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश**
बस्तर स्थान— जगदलपुर	**बस्तर स्थान—जगदलपुर**

(साक्षी के हस्ताक्षर)